न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-345RAAJodhpur2022-206RTA225 Pappuram Vs Mani etc

पप्पूराम पुत्र दीपाराम, जाति जाट, निवासी– ग्राम विश्वकर्मानगर, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर (वर्तमान फलोदी)

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. मानी पुत्री पूराराम पत्नी खींयाराम, जाति जाट, निवासी– खेरलानगर, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर

रेस्पो.....

02. मोहनराम पुत्र दीपाराम
03. कैलाश पुत्र दीपाराम
04. सायरी पत्नी दीपाराम
05. कुम्भाराम पुत्र निम्बाराम
06. भींयाराम पुत्र निम्बाराम
07. जसाराम पुत्र निम्बाराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम विश्वकर्मानगर, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर, (वर्तमान फलोदी)
08. धापू पुत्री पूराराम पत्नी शेराराम, जाति जाट, निवासी– ग्राम जाखड़ तहसील बापिणी, जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)
09. दुर्गाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट, निवासी–ग्राम चाडी, तहसील आउ, जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)
10. भोजाराम पुत्र पन्नाराम
11. बलदेव पुत्र पन्नाराम
    जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम हतुण्डी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
12. मनु पुत्री पुराराम पत्नी मुलाराम, जाति जाट, निवासी– ग्राम पांचला, तहसील खींवसर, जिला नागौर।
13. कमला पुत्री पूराराम पत्नी श्री तुलछाराम, जाति जाट, निवासी– ग्राम पांचला, तहसील खींवसर, जिला नागौर।
14. गंगाराम पुत्र रूपाराम, जाति जाट, निवासी– ग्राम पूनासर खुर्द, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 21 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 142/2022 मानी बनाम मोहनराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह व बारह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या पन्द्रह

नि र्ण य

दिनांक : 10 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 142/2022 अनवान मानी बनाम मोहनराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 286 रकबा 48.07 बीघा, खसरा नं. 378 रकबा 19.19 बीघा, खसरा नं. 652 रकबा 95.15 बीघा, खसरा नं. 655 रकबा 42.19 बीघा, खसरा नं. 680 रकबा 114 बीघा, खसरा नं. 651 रकबा 18 बिस्वा ग्राम पूनासर के संबंध धारा 88, 92–ए व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2022 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड देखे बिना ही अस्थाई निषेधाज्ञा का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का रेकर्डेड सहखातेदार है। कानूनन रेकर्डेड सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि हो। विचारण न्यायालय द्वारा न ही अपीलाधीन आदेश में वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के किसी दस्तावेज का हवाला दिया गया है। कानूनन रेस्पोडेंट संख्या एक पूराराम की पुत्री है तो भी वह अपने पुश्तैनी हिस्से से अधिक भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलांट पप्पूराम द्वारा अपने हक–हिस्से की कृषि भूमि बाबत कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन कर डिमाण्ड राशि भी सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करवा दी गई है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को कृषि कनेक्शन से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 142/2022 अनवान मानी बनाम मोहनराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21.07.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में अधिवक्तागण रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट के अधिरवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक स्व. पूरा की पुत्री होने से वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक की पुश्तैनी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा बिना जवाब प्रस्तुत किये अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट पप्पूराम वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 651, 652, 680, ग्राम विश्वकर्मा नगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा खसरा नं. 302/286, 303/286 ग्राम खेरलानगर में रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 302/286 रकबा 7.7598 हैक्टेयर में ट्युबवेल निर्मित करवा लिया जाना प्रकट होता है, जिसके लिए विद्युत कनेक्शन के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. में राशि 45400/– रूपये जमा करवायी जा चुकी है। विद्युत कनेक्शन से पक्षकारान् के किसी अधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इकतरफा अंतरिम आदेश दिनांक 21 जुलाई 2022 को पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्/पक्षकारान् को कृषि विकास कार्य हेतु कृषि कनेक्शन से रोका जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाण्ट के पक्ष में नियमानुसार कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत न्यायालय द्वारा पारित इकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 21 जुलाई 2022 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी दो माह की अवधि में उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का नियमानुसार न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर